झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
पंचदश (बजट) सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांकः– 08,फाल्गुन, 1945 (श०) / 27, फरवरी, 2024 (ई०) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र० सं०	विभागों को भेजी गई सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
29-	अ०सू०–30	श्रीमती सुनिता चौधरी,	पढ़ाई प्रारम्भ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22-02-24
30-	अ०सू०–04	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	स्थायी नियमितीकरण करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	18-02-24
31-	अ०सू०–02	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	किचन शेड का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18-02-24
32-	अ०सू०–21	श्री ढुलू महतो,	स्टेडियम का निर्माण।	पर्य०कला०सं० खे०कू०एवं युवा कार्य	22-02-24
33-	अ०सू०–22	श्री ढुलू महतो,	सरकारी कॉलेज खोलना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22-02-24
34	अ०सू०–18	श्री मनीष जायसवाल,	एम०ए०सी०पी० का लाभ देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22-02-24
35-	अ०सू०–31	श्री रामचन्द्र सिंह,	प्रारुप लागू करना।	वन,पर्या०एवं जल०परिवर्तन	22-02-24
36-	अ०सू०–05	श्री बिरंची नारायण,	लाभ देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18-02-24
#37-	अ०सू०–29	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	लाभान्वित करना।	वन,पर्या०एवं जल०परिवर्तन	22-02-24
38-	अ०सू०–17	श्री प्रदीप यादव,	शैक्षणिक कार्य सुनिश्चित कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22-02-24

क्र०पृ०उ०.........2/

01	02	03	04	05	06
39-	अ०सू०-27	श्री रामचन्द्र सिंह,	शिक्षकों की नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22-02-24
40-	अ०सू०-09	श्री भानू प्रताप शाही,	निर्णय पर रोक।	वन,पर्या०एवं जल०परिवर्तन	19-02-24
41-	अ०सू०-07	श्री नवीन जयसवाल,	कमिटि की अनुशंसा पर कार्रवाई।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	19-02-24
42-	अ०सू०-26	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	खिलाड़ियों की नियुक्ति।	पर्य०,कला०सं० खे०कू०एवं युवा कार्य	22-02-24
43-	अ०सू०-24	श्रीमती सुनिता चौधरी,	पर्यटक स्थलों को विकसित करना।	पर्य०,कला०सं० खे०कू०एवं युवा कार्य	22-02-24
44-	अ०सू०-12	श्री सरयू राय,	अधिसूचना जारी करना।	वन,पर्या०एवं जल०परिवर्तन	20-02-24
45-	अ०सू०-16	श्री सरयू राय,	स्थायी नियुक्ति करना।	वन,पर्या०एवं जल०परिवर्तन	20-02-24
46-	अ०सू०-06	श्री लोबिन हेम्ब्रम,	दोषियों पर कार्रवाई।	वन,पर्या०एवं जल०परिवर्तन	19-02-24
47-	अ०सू०-20	श्री मनीष जायसवाल,	टैब उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22-02-24
48-	अ०सू०-08	श्री अनन्त कुमार ओझा,	पर्यटक स्थल अधिसूचित करना।	पर्य०,कला०सं० खे०कू०एवं युवा कार्य	19-02-24
49-	अ०सू०-25	श्री दशरथ गागराई,	नियुक्त करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22-02-24
50-	अ०सू०-23	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	पठन-पाठन प्रारम्भ करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22-02-24
51-	अ०सू०-10	श्री विकास कुमार मुण्डा,	डिस्टेंस एजुकेशन की व्यवस्था करना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	19-02-24
52-	अ०सू०-28	श्री सुखराम उराँव,	बी०एड०की पढ़ाई प्रारम्भ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	22-02-24
53-	अ०सू०-15	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	नियमावली,2015 को निरस्त करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20-02-24
54-	अ०सू०-03	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	मजदूरी में वृद्धि करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18-02-24
55-	अ०सू०-14	श्री जय प्रकाश भाई पटेल,	नियुक्ति करना।	वन,पर्या०एवं जल०परिवर्तन	20-02-24
56-	अ०सू०-13	श्री समीर कुमार मोहन्ती,	नियुक्ति पत्र जारी करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	20-02-24
57-	अ०सू०-11	श्री नारायण दास,	वेतनमान् दिलाना।	स्कूली शिक्षा	20-02-24

01	02	03	04	05	06
58-	अ०सू०-01	श्री विनोद कुमार सिंह,	प्रोन्नति एवं नियुक्ति देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18-02-24
*59-	अ०सू०-19	श्री प्रदीप यादव,	अर्बन हाट का निर्माण पूरा करना।	उद्योग	22-02-24

नोटः- #37- वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ज्ञापांक-599, दिनांक-23-02-2024 द्वारा अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में स्थानान्रित।

*59- उद्योग विभाग के ज्ञापांक-275,दिनांक-26-02-2024 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक-27 फरवरी,2024 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020-2517/वि०स०,राँची,दिनांकः-25/02/2024

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष/माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

कमलेश 25/02/24
(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020-2517/वि०स०,राँची,दिनांकः-25/02/24

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

कमलेश 25/02/24
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-03/2020-2517/वि०स०,राँची,दिनांकः-25/02/24

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/बेवसाईट शाखा/जे०भी०एस० टी०भी० शाखा/ ऑनलाईन शाखा /प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

कमलेश 25/02/24
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

23/02/24

(29)

श्रीमती सुनिता चौधरी, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 27.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–30 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ महिला महाविद्यालय लारी का भवन बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अंतर्गत महिला महाविद्यालय, लारी, रामगढ़ का भवन बनकर तैयार है। महिला महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। महाविद्यालय के हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला में इंटर की पढ़ाई के पश्चात महिलाओं के लिए अलग से कोई महाविद्यालय नही है जिसके कारण छात्राओं को पढ़ाई में कठिनाई होती है;	अस्वीकारात्मक। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा स्वीकृत महिला महाविद्यालय, लारी, रामगढ़ में पठन–पाठन की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सत्र 2015–18 से रामगढ़ महाविद्यालय, रामगढ़ में संचालित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महिला महाविद्यालय लारी में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	नवनिर्मित महिला महाविद्यालय, लारी, रामगढ़ के भवन के हस्तांतरण के पश्चात शैक्षणिक सत्र 2024–25 से पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–17/2024 327/ रॉची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके पत्रांक–2833 दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

पंचम झारखण्ड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र में दिनांक 27.02.2024 को श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–04 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं (Need Based Lecture) की सेवा अवधि विस्तार 65 वर्षो तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक की गई है, जबकि इन्ही संस्थानों में संविदा पर नियुक्त व्याख्याताओं को नहीं;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित संस्थानों में कार्यरत संविदा व्याख्याताओं से प्रत्येक वर्ष साक्षात्कार लें कर सेवा विस्तार दिया जाता है। जबकी विभागीय पत्रांक–1089, दिनांक–13.12.22 द्वारा व्याख्याताओं के मामले में सभी पोलिटेकनिक संस्थानों को एतद् संबंधी प्रावधानों में संशोधन उपरांत माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के पारित आदेश (W.P (S) No. 3483 of 2011) का अनुपालन हेतु निर्देशित है;	अस्वीकारात्मक संविदा व्याख्याताओं का प्रतिवर्ष सेवा अवधि विस्तार हेतु साक्षात्कार नहीं लिया जाता है, अपितु नियमानुसार सीधे रूप से अवधि विस्तार दिया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित संस्थानों में सेवारत संविदा व्याख्याताओं को वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित सप्तम् वेतनमान् का लाभ से वंचित रखा गया है। साथ ही इन्हें नियमित राज्य कर्मियों के भाँति आकस्मिक अवकाश, पी0एफ0, चिकित्सा अवकाश सहित अन्य वांछित लाभ प्रदान नहीं है,	आंशिक स्वीकारात्मक ➢ विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में निम्न प्रकार के संविदा पर नियुक्त व्याख्याता कार्यरत हैं– 1. संविदा पर नियुक्ति से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4569/वि0, दिनांक–05.07.2002 के आलोक में। 2. Campus Selection के माध्यम से संविदा पर नियुक्ति हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या–1532, दिनांक–20.07.2017 के आलोक में। 3. बिहार सरकार के समय से ही वर्ष 1996–97 से विभिन्न पोलिटेकनिक संस्थानों में विश्व बैंक परियोजनान्तर्गत संविदा पर। ➢ वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4569/वि0, दिनांक–05.07.2002 के आलोक में संविदा पर नियुक्त व्याख्याताओं को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सप्तम् वेतनमान् का लाभ प्रदान किया जा रहा है। ➢ अन्य प्रकार के संविदा पर नियुक्त व्याख्याताओं को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सप्तम् वेतनमान् का लाभ प्रदान करने के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ➢ इन संविदा पर नियुक्त व्याख्याताओं को वित्त विभाग के संकल्प संख्या–4569/वि0, दिनांक–05.07.2002 एवं विभागीय संकल्प संख्या–1532, दिनांक–20.07.2017 के अनुसार आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है। उक्त दोनों संकल्पों में इन्हें पी0एफ0, चिकित्सा अवकाश सहित अन्य लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है।

कृ0पृ0उ0

(30)

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के पोलिटेकनिक संस्थानों में सेवारत संविदा व्याख्याताओं को सप्तम् वेतनमान् लाभ, बीमा लाभ, अवकाश लाभ तथा रिक्त पदों के विरूद्ध स्थाई समायोजन/नियमितीकरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपरोक्त कंडिका 3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। विभागीय तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली, 2024 में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को स्थाई समायोजन/नियमितीकरण करने का प्रावधान नहीं है, परन्तु विभागान्तर्गत संविदा/आवश्यकता आधारित शिक्षकों को झारखण्ड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली, 2024 के अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त एकल अवसर के रूप में JPSC द्वारा प्रकाशित प्रथम विज्ञापन में कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 05 अंक का Extra Weightage दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–उ0त0शि0/वि0स0–01/2024– 196 /राँची, दिनांक– 26.02.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2593, दिनांक–18.02.2024 के आलोक में 200 प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.02.2024

(सरकार के अवर सचिव)

31

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जाने वाला
अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–02

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 13 जिलों के 2600 विद्यालयों में किचन शेड का निर्माण करना था;	आंशिक स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के 13 जिलों के 2683 विद्यालयों में पूर्व से निर्मित किचेन–शेड के मरम्मतीकरण/सुदढ़ीकरण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस कार्य के लिए 20 करोड़ रूपये आवंटित की गई है;	कंडिका–1 के लिए कुल रू. 19,99,98,860.00 आवंटित किया जा चुका है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त राशि का प्रावधान मिड डे मिल की गुणवत्ता के साथ साफ–सफाई की दशा व दिशा सुधारने के लिए किया गया है;	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अबतक राज्य में कितने जिले के किचन शेड का निर्माण किया गया है?	कुल 2683 विद्यालयों में उपलब्ध कराए गए किचेन–शेड के निर्माण के विरूद्ध जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कुल 1851 विद्यालयों में किचेन शेड के मरम्मतीकरण/सुदढ़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

Asun 24.02.24
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि2–03/2024..263../ राँची, दिनांक 24/02/2024

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2590 दिनांक 18.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Asun 24.02.24
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री दुलू महतो स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–27.02.2024 को पृच्छित अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–21 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री दुलू महतो, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधान सभा क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक भी खेल का मैदान/स्टेडियम नहीं होने के कारण युवा वर्ग को अपनी प्रतिभा निखारने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2008–09 में बाघमारा प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है जो अद्यावधि पूर्ण है।
2	क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधान सभा क्षेत्र में एक से बढ़कर एक प्रतिभावान फुटबॉल, क्रिकेट आदि सहित अन्य खेलों के खिलाड़ी है परन्तु संसाधन नहीं होने के कारण ये अपनी प्रतिभा निखारने में असमर्थ है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाघमारा में स्टेडियम निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–1 में निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–12/2024 314 / राँची, दिनांक 25-02-2024

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2789/वि०स०, दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/02/24
सरकार के संयुक्त सचिव

श्री दुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–22 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कतरास कॉलेज एकमात्र सरकारी कॉलेज है जिसमें 61 पंचायत और 8 नगर निगम क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मजबूरी में छात्र–छात्राओं को या तो दूर जाकर या फिर अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ देना पड़ता है जिससे इनके भविष्य के प्रति ध्यान नही दिया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। बाघमारा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कतरास महाविद्यालय, कतरासगढ़ एक अंगीभूत महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त बाघमारा महाविद्यालय, बाघमारा तथा डी०ए०भी० महिला महाविद्यालय, कतरासगढ़ स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय स्थित है, जिसमें बाघमारा विधान सभा एवं आस–पास के प्रखण्डों के छात्र–छात्राएँ शिक्षा प्राप्त करते हैं।
02	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाघमारा की आबादी को देखते हुए कतरास कॉलेज की तरह दूसरा सरकारी कॉलेज खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	वर्त्तमान में बाघमारा विधान सभा क्षेत्र के कतरास में नया सरकारी कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि०स०–15/2024 ......332...../ रॉंची, दिनांक : 26/02/2024

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप सं0–2787, दिनांक 22.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव

54

695
26/02/2024

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–18		
क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक एवं +2 स्तर के शिक्षकों की प्रोन्नति एकीकृत बिहार के वर्ष 1993 से लम्बित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य गठन के उपरांत प्रारंभिक विद्यालयों के सभी अर्हताधारी शिक्षकों को वरीय वेतनमान् का लाभ प्रदान किया गया है। साथ ही, देवघर, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, रांची, पूर्वी सिंहभूम, खूँटी, धनबाद आदि विभिन्न जिलों में एक या अधिक बार, समग्र रूप से पद प्रोन्नति (स्नातक प्रशिक्षित/प्रधानाध्यापक पद) प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में भी प्रोन्नति प्रदान की गयी है। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को वर्ष 2009 में प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी है तथा +2 उच्च विद्यालयों के व्याख्याता/शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से वरीय वेतनमान् में प्रोन्नति प्रदान की गयी है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार के पत्रांक 2122 दिनांक 01.08.2022 अन्तर्गत राज्य के शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त है, परन्तु उक्त शिक्षकों को राज्य कर्मियों के तर्ज पर एम.ए.सी.पी. के लाभ से सरकार द्वारा वंचित रखा गया है, जिसके कारण उक्त शिक्षकों को काफी नुकसान हो रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2981/वि0 दिनांक 01.09.2009 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए MACP योजना स्वीकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य कर्मियों को पूरे सेवाकाल में तीन वित्तीय उन्नयन् क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्षों की सेवा के उपरांत देय है। उक्त संकल्प के परिशिष्ट–1 की कंडिका–16 में प्रावधानित है कि MACP योजना का लाभ राजकीयकृत/अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों/UGC/AICTE/NCERT आदि के वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षकों/ पदाधिकारियों को देय नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मी जिनके लिए अलग से किसी विशेष प्रोन्नति योजना का प्रावधान पूर्व से किया गया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ देय नहीं है, जिसे वित्त विभाग के पत्रांक 40/वि.पे. दिनांक 08.03.2022 में पुनः अंकित करते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची को उपलब्ध कराया गया है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रभावी झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2015 की कंडिका–6(i) में राज्य के माध्यनिक विद्यालयों के शिक्षकों को वरीय एवं प्रवरण वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।

श्री मनीष जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–18

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
		इस नियमावली की कंडिका 6(iii) में नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ACP/MACP का लाभ देय नहीं होने का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग द्वारा इसे नियमसंगत उल्लेखित करते हुए माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ACP/MACP की अनुमान्यता नहीं है,– का परामर्श दिया गया है। झारखण्ड +2 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के प्रावधनानुसार +2 उच्च विद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को क्रमशः 12 एवं 24 वर्षों की लगातार सेवा अवधि के फलस्वरूप वरीय वेतन एवं प्रवरण वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाना है। यह नियमावली वर्त्तमान में भी प्रभावी है। इस प्रकार +2 उच्च विद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना से आच्छादित नहीं है।
3	क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा वहाँ कार्यरत शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए उक्त शिक्षकों को एम.ए. सी.पी. का लाभ दिया जा रहा है।	झारखण्ड राज्य से संबंधित नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के शिक्षकों के तर्ज पर राज्य के शिक्षकों को भी एम.ए. सी.पी. का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 02 से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

सरकार के उप सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–32/2024 695 / दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(35)

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–31 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	अल्प–सूचित प्रश्न	उत्तर सामग्री
01	क्या यह बात सही है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के मकान, फसल, भण्डारित अनाज एवं पालतु जानवरों का जंगली जानवरों द्वारा की गई क्षति का क्षतिपूर्ति/मुआवजा हेतु बनाई गई पूर्व के आवेदन के प्रारूप में सिर्फ वनपाल एवं अंचल निरीक्षक द्वारा सत्यापन कराने का प्रावधान था, जिसे अब काफी कठिन बनाते हुए आवेदन के प्रारूप में बदलाव कर हल्का कर्मचारी (संबंधित अंचल) सदस्य सचिव (ग्राम वन प्रमण्डल एवं संरक्षण समिति) मुखिया (संबंधित पंचायत) एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी (संबंधित प्रक्षेत्र) द्वारा सत्यापन का प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक। वर्तमान में विभागीय संकल्प सं०–वन्यप्राणी 08/2000 (खण्ड)/2265 व०प०, राँची, दिनांक 15.06.2023 में निहित प्रावधानों के आलोक में मुआजवा का भुगतान किया जा रहा है।
02	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित तथ्यों के आलोक में वर्तमान में आवेदन के प्रारूप में सत्यापन पदाधिकारी बदलने से पीड़ित प्रार्थी को सत्यापन की प्रकिया में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा जिसके कारण कई पीड़ित किसान मुआवजा से वंचित रह जा रहे है;	अस्वीकारात्मक। जंगली/जानवरों द्वारा जान–माल की क्षति के विरूद्ध विभाग द्वारा किये जाने वाले मुआवजा भुगतान में यदि कहीं कठिनाई होती है तो वन प्रमंडल द्वारा जिला–प्रशासन से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें दूर कर दिया जाता है। कोई भी पीड़ित किसान मुआवजा से वंचित नही रह रहा है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 एवं 02 में वर्णित तथ्यों के आलोक में वर्तमान आवेदन के सत्यापन प्रारूप को निरस्त कर पूर्व के सत्यापन प्रारूप को लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	मुआवजा भुगतान हेतु निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अ0सू0 प्रश्न–24/2024–613 व0प0, दिनांक–26/02/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2840, दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

(सुनील कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

(36)

687
26/02/2024

श्री विरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–05

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के तर्ज पर झारखण्ड के शिक्षकों को भी MACPS का लाभ देने की योजना है?	अस्वीकारात्मक। सम्प्रति कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी सेवकों को MACPS का लाभ वर्ष 2009 के प्रभाव से दे रही है और वर्ष 2023 में जिला स्कूल, नेतरहाट आवासीय विद्यालय एवं कल्याण विभाग के शिक्षकों को भी वर्ष 2009 के प्रभाव से MACPS का लाभ दिया गया है?	वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2981/वि. दिनांक 01.09.2009 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए MACP योजना स्वीकृत की गयी है, जिसके अंतर्गत राज्यकर्मियों को पूरे सेवाकाल में तीन वित्तीय उन्नयन क्रमशः 10 वर्षों, 20 वर्षों एवं 30 वर्षों की सेवा के उपरांत देय है। उक्त संकल्प के परिशिष्ट–1 की कंडिका–16 में प्रावधानित है कि MACP योजना का लाभ राजकीयकृत/ अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों/UGC/AICTE/NCERT आदि के वेतनमान् प्राप्त करने वाले शिक्षकों/पदाधिकारियों को देय नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मी, जिनके लिए अलग से किसी विशेष प्रोन्नति योजना का प्रावधान पूर्व से किया गया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ देय नहीं है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु अंगीकृत बिहार (झारखण्ड) प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों के अर्हताधारी शिक्षकों को ग्रेड–1 से प्रारंभ कर ग्रेड–8 तक में प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत उन्हें वरीय एवं प्रवरण वेतनमान् तथा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दिये जाने हेतु नियमावली गठित है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रभावी झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2015 की कंडिका–6(*i*) में राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को वरीय एवं प्रवरण वेतनमान् का लाभ की व्यवस्था की गयी है। इस नियमावली की कंडिका 6(*iii*) में नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ACP/MACP का लाभ देय नहीं होने का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग द्वारा इसे नियमसंगत उल्लेखित करते हुए माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ACP/MACP की अनुमान्यता नहीं है, का परामर्श दिया गया है। झारखण्ड +2 शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के प्रावधानानुसार +2 उच्च

श्री विरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–05

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

		विद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को क्रमशः 12 एवं 24 वर्षों की लगातार सेवा अवधि के फलस्वरूप वरीय वेतनमान् एवं प्रवरण वेतनमान् का लाभ प्रदान किया जाना है। यह नियमावली वर्त्तमान में भी प्रभावी है। इस प्रकार +2 उच्च विद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना से आच्छादित नहीं हैं। वर्ष 2000 के पूर्व नियुक्त जिला स्कूल के शिक्षक, राजकीयकृत विद्यालय के शिक्षक नहीं होकर, राजकीय शिक्षकों/अवर शिक्षा सेवा माध्यमिक शाखा संवर्ग के होते थे। माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 8226–8227/2012 में दिनांक 23.11.2012 को पारित न्यायादेश तथा एस.एल.पी. सं. 9744/2015 में दिनांक 16.07. 2015 को पारित आदेश द्वारा अवर शिक्षा सेवा माध्यमिक शाखा संवर्ग तथा राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय संवर्ग के शिक्षकों को नियुक्ति तिथि अथवा दिनांक 01.01.1977, के प्रभाव से, जो बाद में हो, बिहार/झारखण्ड शिक्षा सेवा में सम्मिलित किया गया है, जिन्हें ए.सी. पी./एम.ए.सी.पी. का लाभ देय है। नेतरहाट विद्यालय के शिक्षकों को प्रारंभ से बिहार शिक्षा सेवा (ग्रेड पे. 5400/–) से उच्चतर वेतनमान्, ग्रेड पे. 6600/– में नियुक्त किया गया है तथा उन्हें भी ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी. का लाभ देय है। वर्त्तमान में नेतरहाट विद्यालय, स्वयंशासी परिषद् द्वारा संचालित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक एवं +2 विद्यालयों के शिक्षकों (PRT, TGT तथा PGT) को अन्य सरकारी सेवकों की तरह वर्ष 2009 के प्रभाव से संशोधित वृत्ति उन्नयन MACPS का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–02 से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

सरकार के उप सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–09/2024 687 /   दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(37)

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–29 का उत्तर सामग्री–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है सन् 2006 में वन अधिकार अधिनियम लागू होने के 17 साल बाद तक केवल 60,000 लाभार्थियों को वन पट्टा देने में सरकार कामयाब रही थी ;	स्वीकारात्मक। वन अधिकार अधिनिमय, 2006 में लागू किया गया है। 8 फरवरी 2023 की स्थिति में 62,204 (IFR-60296 तथा CFR-19008) वन अधिकार पट्टा वितरित किए गए हैं।
2	क्या यह बात सही है कि 07 नवम्बर, 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन जी ने "अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान" शुरू किया था, जिसका लक्ष्य 10 हजार गाँवों के 01 लाख लाभार्थियों को व्यक्तिगत् एवं सामुदयिक रूप से वन पट्टा और वन संसाधन अधिकारों तक पहुँच का लाभ देना है ;	स्वीकारात्मक। 6 नवम्बर 2023 को "अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान" (वन अधिकार अभियान) की शुरूआत सभी उपायुक्तों एवं सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारियों को वनाधिकार विषयक से राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करते हुए की गई थी। वनाधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु सभी सम्बद्ध पक्षों को जागरूक करना, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना तथा अधिक से अधिक सृजित दावों का नियमानुसार निष्पादन करना अभियान का ध्येय है। **अभियान के शुरूआत के बाद की गई कार्रवाई** 1. 24 जिलों में अनुमंडल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति की पुनर्गठन कर लिया गया है। 2. जिला स्तर पर वन अधिकार अधिनियम कोषांग का गठन करने एवं प्रखंड स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 3. 24 जिलों में बीरवन्धु का चयन कर लिया गया है जो हर एक पात्र गांव एवं पात्र परिवार को वन अधिकार दावा सृजन करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 4. 18 जिलों में वन अधिकार अधिनियम से संबंधित पदाधिकारियों को एवं 19 जिलों में बीरवन्धु को प्रशिक्षण प्रदान कराया जा चुका है। 5. अभियान के बाद से 109 व्यक्तिगत पट्टा एवं 24 सामुदायिक पट्टा का वितरण किया गया है। 6. इस अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र परिवारों को व्यक्तिगत वन अधिकार, और सभी पात्र गाँवों को सामुदायिक वन अधिकार एवं वन संसाधन अधिकार मान्य किया जाएगा।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ने अबतक कितने लाभार्थियों को लक्ष्य के अनुरूप वन अधिकार अधिनियम के तहत् वनभूमि का पट्टा और अन्य लाभ दिया है तथा एक लाख लाभार्थियों को कबतक लाभान्वित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। 24 जिलों में एक समय–सीमा के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित कर समेकित अभियान चलाया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–01 / वि०स०(अल्प०)–02 / 2024 - 534 रॉंची, दिनांक– 26/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2839, दिनांक– 22.02.2024 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/2/2024

(अंगारनाथ स्वर्णकार)
सरकार के अवर सचिव।

D:\Renu\Renu 2024\Ranjana\Question.docx

(38)

पंचम झारखण्ड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र में दिनांक–27.02.2024 को श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–17 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में सरकारी पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्षो से कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षक (Need Based Lecturer) NBL को विभागीय संकल्प–543 दिनांक–10.05.2023 के कंडिका 2 (ii) के अनुसार प्रति सप्ताह 18 व्याख्यान और कंडिका 2 (vi) में ग्रीष्मावकाश एवं अन्य Vacation के दौरान नियमित कक्षाएँ स्थगित रहने के अवधि में भी गैर शैक्षणिक कार्य कराने का प्रावधान किया गया है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि कार्यरत सभी NBL का पिछले 10 माह से विभागीय स्पष्ट आदेश के बावजूद भी संस्थान के प्राचार्यों द्वारा बढ़ा मानदेय का भुगतान जानबूझ कर नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक विभागान्तर्गत कुल 17 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान संचालित है। 04 नये पोलिटेकनिक संस्थान में, संकल्प–838, दिनांक–13.06.2019 द्वारा पद सृजित है तथा पूर्व से संचालित 13 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में संकल्प–1114, दिनांक–05.12.2023 द्वारा पद सृजित किया गया है। सभी 17 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों द्वारा शिक्षकों के पद सृजन संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प के उपरांत की अवधि के भुगतान की प्रक्रिया की गयी है/की जा रही है। पूर्व से संचालित 13 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के आवश्यकता आधारित शिक्षक को विभागीय संकल्प–543 दिनांक–10.05.2023 के निर्गत होने के उपरांत तथा संस्थानों में पद सृजन संबंधी विभागीय संकल्प निर्गत करने की तिथि की बीच की अवधि (दिनांक–10.05.2023 से दिनांक–05.12.2023 तक) के मानदेय भुगतान किये जाने हेतु निर्णय लेने की कार्रवाई की जा रही है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 एवं 2 के कारण NBL को काफी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी प्राचार्यों को दण्डित करते हुए NBL के पिछले सभी बकाया का भुगतान एवं प्रति सप्ताह 18 व्याख्यान एवं गैर शैक्षणिक कार्य सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–उ0त0शि0/विधानसभा–08/2024– 197 /राँची, दिनांक– 26.02.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2788 दिनांक 22.02.2024 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.02.2024

(सरकार के अवर–सचिव)

(39)

694
26/02/2024

श्री रामचन्द्र सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–27

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत मनिका विधान सभा क्षेत्र के साथ–साथ राज्य के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक उत्क्रमित विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के अनुपात में शिक्षकों का घोर अभाव है, जिसके कारण पठन–पाठन प्रभावित हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। (तालिकाएँ नीचे)

उत्तर (1): आंशिक स्वीकारात्मक।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार लातेहार जिला अन्तर्गत मनिका विधानसभा क्षेत्र में अवस्थित माध्यमिक एवं +2 माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षकों के पद का विवरण निम्नांकित है, जो जिला एवं राज्य स्तर के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों के विवरण के समान ही है :–

क्र0 सं0	सरकारी विद्यालय की कोटि एवं कुल संख्या	कुल पदों की संख्या	कुल कार्यरत पदों की संख्या एवं प्रतिशत	कुल रिक्त पदों की संख्या एवं प्रतिशत
1.	माध्यमिक–33	319	167 (52.35%)	152 (47.65%)
2.	+2 माध्यमिक – 10	110	20 (18.18%)	90 (81.82%)

तथा लातेहार जिले के संदर्भ में उपर्युक्त स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्ति निम्नांकित है :–

क्र0 सं0	सरकारी विद्यालय की कोटि	कुल पदों की संख्या	कुल कार्यरत पदों की संख्या एवं प्रतिशत	कुल रिक्त पदों की संख्या एवं प्रतिशत
1.	माध्यमिक	735	417 (56.73%)	318 (43.27%)
2.	+2 माध्यमिक	197	54 (27.41%)	143 (72.59%)

झारखण्ड राज्य के संदर्भ में उपर्युक्त स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्ति निम्नांकित है :–

क्र0 सं0	सरकारी विद्यालय की कोटि	कुल पदों की संख्या	कुल कार्यरत पदों की संख्या एवं प्रतिशत	कुल रिक्त पदों की संख्या एवं प्रतिशत
1.	माध्यमिक	24374	14967 (61.40%)	9407 (38.60%)
2.	+2 माध्यमिक	5610	2451 (43.68%)	3119 (56.32%)

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मनिका विधान सभा के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक उत्क्रमित विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत उच्च विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के कुल 17786 पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा विज्ञापन सं0 21/2016 प्रकाशित किया गया था। इसके अंतर्गत कुल 12809 (लगभग) स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है शेष बचे पदों के विरुद्ध संबंधित कोटि के अर्हत्ताधारी आवेदकों की संख्या लगभग शून्य है। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय द्वारा सोनी कुमारी वाद में पारित निर्णय के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। +2 विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक के 690 पदों के विरुद्ध कुल 539 पदों पर नियुक्ति दिसम्बर 2023 में की गयी है। राज्य के +2 उच्च विद्यालय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के कुल 3120 पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

		रांची को प्रेषित है। आयोग द्वारा परीक्षा लिया जा चुका है। सम्प्रति +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के कुल 3120 पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को चयनित करने की कार्रवाई झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची में प्रक्रियाधीन है।

सरकार के उप सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–31/2024 694 / दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–09 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के आदेश संख्या–बी0–41, दिनांक–11.04.2023 के द्वारा परिषद् मण्डल की 50वीं बैठक की कार्रवाई संख्या–21 में लिये गए निर्णय के अनुरूप यह आदेश निर्गत किया गया है कि स्टोन क्रसर की दूरी खनन पट्टे से 5 कि0मी0 के दायरे में हो;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित आदेश से विभिन्न प्रकार के समस्याऐं क्रसर संचालकों को हो रही है, जैसे क्रसर प्लांट के लिए जमीन का सुलभ उपलब्ध नहीं होना, क्रसर प्लांट से स्टोन चिप्स की ढुलाई हेतु पर्याप्त आवागमन का साधन नहीं होना;	आंशिक स्वीकारात्मक। कार्यालय आदेश सं0–B-41 दिनांक–11.07.2023 द्वारा जो क्रशर से संदर्भित खनन पट्टे (माईन्स) 5 कि0मी0 से अधिक है, उक्त कशर को CTE (Consent To Establish) नहीं देने का निर्णय लिया गया। क्रशर संचालकों को होने वाली संभावित परेशानियों को देखते हुए वैसे क्रशर जो माईन्स से 5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर अवस्थित है उन्हें लगभग दो वर्षों का समय दिया गया ताकि वे अपना क्रशर खनन पट्टे से निर्धारित दूरी 5 कि0मी0 के अन्दर व्यवस्थित कर लें। ऐसी व्यवस्था अनावश्यक प्रदूषण को कम करने हेतु किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा लिये गये अविवेकपूर्ण एवं अव्यवहारिक निर्णय पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5 / वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–11 / 2024– 608 व0प0, दिनांक– 26/02/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2670, दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

(सुनील कुमार)

सरकार के अवर सचिव

41

686
26/02/2024

श्री नवीन जयसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–07 क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	**प्रश्न**	**उत्तर**
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेजों, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसा विद्यालयों को इस महंगाई के समय भी अनुदान नियमावली–2015 के अनुसार प्रत्येक वर्ष अनुदान मिलती है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार अनुदान बढ़ाने के लिए दिनांक 16.11.2022 को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में कमिटि बनाई गई है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि गठित समिति ने दिनांक 07.12.2022 को अपनी अनुशंसा सरकार को दे दी है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कमिटि की अनुशंसा पर कार्यवाही करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	सम्प्रति प्राप्त अनुशंसा की समीक्षा एवं सभी पहलुओं पर विचार प्रक्रियाधीन है।

(हस्ताक्षर)
सरकार के उप सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–12/2024 686 / दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
सरकार के उप सचिव।

42

श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–27.02.2024 को पृच्छित अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–26 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री मथुरा प्रसाद महतो, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए वर्ष 2020 में मांगे गये कुल–799 आवेदनों में 23 खिलाड़ियों के आवेदन योग्य पाये गये है, परन्तु उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है;	**आंशिक स्वीकारात्मक।** झारखण्ड राज्य में खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हेतु वर्ष 2020 में आवेदन आमंत्रित किया गया था जिसके विरूद्ध कुल 799 आवदेन प्राप्त हुए थे। मुख्य सचिव झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित अनुशंसा समिति द्वारा उक्त 799 आवदेनों में से कुल 40 खिलाड़ियों को योग्य पाते हुए उनकी नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी। उक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार अंतर्गत विभिन्न विभागों में अनुशंसित खिलाड़ियों की नियुक्ति की जा चुकी है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार योग्य पाये गये सभी 23 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति पर शीघ्र निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–1 में निहित है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–11/2024–315/ राँची, दिनांक 25.02.2024

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2837/वि०स०, दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/02/24

सरकार के संयुक्त सचिव

श्रीमती सुनिता चौधरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०–24 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला में पतरातू डैम, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा, प्राचीन महादेव मंदिर कैथा, माया डूंगरी, भैरवा जलाशय, टूटी झरना जैसे पर्यटन स्थल स्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा एवं पतरातू डैम में हजारों पर्यटक प्रत्येक दिन रामगढ़ आते है,	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि पतरातू डैम को छोड़कर छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा, प्राचीन महादेव मंदिर कैथा, माया डूंगरी, भैरवा जलाशय, टूटी झरना को पर्यटन के दृष्टिकोण से समुचित विकास नहीं किया गया है, जिसके कारण हजारों पर्यटक प्रत्येक दिन रामगढ़ पहुँचने के बावजूद इन स्थानों में नहीं पहुँच पाते है,	2.	आंशिक स्वीकारात्मक छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा–श्रेणी A, महादेव मंदिर कैथा – श्रेणी C, माया डूंगरी–श्रेणी B, भैरवा जलाशय–श्रेणी C, टूटी झरना–श्रेणी C के पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा, प्राचीन महादेव मंदिर कैथा, माया डूंगरी, भैरवा जलाशय, टूटी झरना जैसे पर्यटन स्थलों को विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	रामगढ़ जिलान्तर्गत रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर के कॉम्पलेक्स के विकास हेतु विभागीय पत्रांक–30, दिनांक–05.08.2015 द्वारा 396,15,000/– की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। विभागीय पत्रांक 271 दिनांक 21.02.2024 द्वारा अन्य अधिसूचित पर्यटकों स्थलों की पर्यटकीय विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद्, रामगढ़ को विभागीय पत्रांक 910, दिनांक 03.06.2022 के आलोक में प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। जिला स्तर से समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त स्थलों के पर्यटकीय विकास के कार्यों हेतु विभाग द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/10/2024........317........../राँची, दिनांक........25-02-2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2836/वि०स०, दिनांक–22/02/2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/02/24
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, कोलकाता द्वारा वाद संख्या–O.A. No.-59/2020 E.Z. में दिनांक–12.07.2022 को आदेश पारित किया गया है कि राज्य सरकार समृद्ध एवं प्राचीन सारंडा साल वन को वन्य प्राणी आश्रयी घोषित करे;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, कोलकाता द्वारा वाद संख्या O.A.No-59/2020/EZ में दिनांक–12.07.2022 को पारित आदेश में राज्य सरकार को सारण्डा वन को वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित करने पर विचार करने हेतु निदेशित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारंडा वन प्रमण्डल ने ज्ञापांक–1584/18.07.2022 द्वारा इसकी सूचना वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक को दे दिया है, परन्तु अभी तक सारंडा वन को वन्य प्राणी आश्रयी घोषित करने की कार्रवाई नहीं हुई है;	स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिनांक 12.07.2022 के आदेश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के द्वारा सारण्डा वन को वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित किये जाने की आवश्यकता/औचित्य पर अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन जमशेदपुर को दिया गया। तदआलोक में वन्यजीव गणना एवं अन्य संबंधित बिन्दुओं के संदर्भ में डाटा संग्रहण का कार्य सारण्डा वन प्रमंडल के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस कार्य में भारतीय वन्यजीव संस्थान से भी सहयोग प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि सारंडा वन में अनेक वन्य प्राणी है, जिसमें चौसिंघा भी है, जिसके संरक्षण योजना पर काफी राशि खर्च हुई है;	स्वीकारात्मक। सारण्डा वन प्रमण्डल में उपलब्ध प्रलेखी साक्ष्य एवं वनकर्मियों द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन तथा प्रमण्डल स्तर पर अविरत वन्यप्राणी गणनानुसार सारण्डा वन प्रमण्डल में अनेक वन्यप्राणी की उपस्थिति पायी गयी है, जिसमें हाथी, तेन्दुआ, सांभर, चीतल एवं चौसिंघा प्रमुख है। चौसिंघा संरक्षण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विजय–2 प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की शर्त के अंतर्गत चौसिंघा संरक्षण योजना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के स्तर से अनुमोदित है। उक्त योजना कुल बजट 8.48 करोड़ है जिसे 10 वर्षों में क्रियान्वयन किया जाना है। योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2021–22 से प्रयोक्ता अभिकरण (टाटा स्टील लोंग प्रोडक्ट लिमिटेड) द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल के निर्देश में किया जा रहा है। इस योजना पर अभी तक लगभग 14.095 लाख व्यय किया गया है।
4. यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतायेगी कि सारंडा वन क्षेत्र में चौसिंघा सहित अन्य वन्य प्राणियों की कितनी संख्या है और सरकार सारंडा वन को वन्य प्राणी आश्रयी घोषित करने की अधिसूचना जारी करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	सारण्डा वन प्रमंडल अन्तर्गत की गयी वन्यप्राणी गणना एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से डाटा विश्लेषण के उपरांत वन्यजीव आश्रयणी घोषित करने के संदर्भ में विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अ0सू0 प्रश्न–14/2024– 610 व0प0, दिनांक– 26/02/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2715, दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री सरयु राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–16 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बिरसा जैविक उद्यान, ओरमांझी, राँची में वर्षों से लगभग 120 कर्मी दैनिक वेतनभोगी के रूप मे कार्यरत हैं ;	स्वीकारात्मक। वर्तमान में बिरसा जैविक उद्यान, ओरमांझी, राँची में कुल 108 कर्मी दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं।
2.क्या यह बात सही है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मियों में से अधिकांश कर्मियों को श्रम मंत्रालय के प्रावधानानुसार वर्ष में दो बार प्रदत्त वेतन वृद्धि का सुविधा नहीं मिल रहा है और इन्हें कुशल कर्मी के समान मानदेय नहीं दिया जा रहा है तथा बिरसा जैविक उद्यान प्रबंधन द्वारा इन्हें ई0पी0एफ0 और ई0एस0आई0सी0, जीवन–बीमा इत्यादि का लाभ नहीं दिया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। श्रम मंत्रालय के प्रावधानानुसार वर्ष में दो बार वेतन वृद्धि की सुविधा सभी दैनिक कर्मियों को दी जा रही है एवं कुशल कर्मियों को कुशल मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। उद्यान में कार्यरत सभी दैनिक कर्मियों को ई॰पी॰एफ॰ का लाभ दिया जा रहा है।
3.क्या यह बात सही है कि ये कर्मी स्थायी नियुक्ति की सभी अहर्त्ता रखते हैं, परन्तु इनका बिरसा जैविक उद्यान प्रबंधन, ओरमाँझी, राँची द्वारा स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है;	उद्यान में पशुपालक–सह–स्वीपर के कुल 24 पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध 12 पद धारित है एवं शेष रिक्त है। दैनिक मजदूरों में कार्यरत कोई भी कर्मी स्थायी नियुक्ति की अर्हता नहीं रखते है।
4.यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन कर्मियों की स्थायी नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	इसका उत्तर कण्डिका 3 में निहित है।

झारखण्ड सरकार

<u>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

ज्ञापांक–5 / वि0स0 अ0सू0 प्रश्न–16 / 2024–612 व0प0, दिनांक–26/02/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2713, दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछे जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–06 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य के पिछड़े एवं अनुसूचित क्षेत्रों में सामूहिक एवं सामुदायिक विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए केन्द्र सरकार ने कैंपा योजना की कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड राज्य को 4158.02 करोड़ रूपये आवंटित किया है;	अस्वीकारात्मक। कैम्पा की राशि पिछड़े एवं अनुसूचित क्षेत्रों में सामूहिक एवं सामुदायिक विकास के लिए नहीं है। इसे क्षतिपूरक वृक्षारोपण, इत्यादि कार्य के लिए व्यय किया जाता है। वर्ष 2023–24 में भारत सरकार से 412.136 करोड़ रूपये (चार सौ बारह करोड़ तेराह लाख छः सौ) की योजना स्वीकृत की गई है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में आवंटित राशि का अबतक कोई उपयोग ही नहीं किया गया है, जो घोर वित्तीय उदासीनता तथा विकास कार्य में रूचि नहीं लेने को परिलक्षित करती है;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार से इस मद मे रू० 205.285 करोड़ आवंटन प्राप्त है तथा कार्य निष्पादित कराये जा रहे हैं।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित राशि का अबतक खर्च नहीं करने की जाँच कर खण्ड–02 में वर्णित उदासीनता पर संज्ञान लेकर योजना राशि का खर्च करने एवं मामले में संलिप्त दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	लागू नही

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अ0सू0 प्रश्न–12/2024– 614 व0प0, दिनांक–26/02/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2669, दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

47

273
26/02/2024

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री मनीष जायसवाल, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–20

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष–2022–23 में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत राज्य के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए 28,945 टैब खरीदने हेतु कुल 28.94 करोड़ रूपये राशि आवंटित की गई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को खण्ड–01 में वर्णित टैब के मद में राशि उपलब्ध कराने के बावजूद संबंधित पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण हजारीबाग, रामगढ़ जिले सहित राज्य के किसी भी अन्य जिलों में अबतक उक्त शिक्षकों को टैब उपलब्ध नहीं हो पाई जिसके कारण उक्त स्कूली बच्चों को डिजिटल एजुकेशन से वंचित रहना पड़ रही है;	अस्वीकारात्मक। भारत सरकार द्वारा प्रति टैबलेट 10000.00 के दर से सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 28945 सरकारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए कुल 28.94 करोड़ रुपये स्वीकृति के आलोक में Hybird mode of learning एवं बच्चों को ई–कंटेट प्रदर्शित कराने का निदेश है। उक्त के आलोक में सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा निविदा पर अनुमोदनोपरांत निविदा का प्रकाशन उपलब्ध निधि, भारत सरकार द्वारा दिए गए निदेश तथा शिक्षको के शैक्षणिक अनुसमर्थन तथा छात्रों के शिक्षण में सहयोग के लिए GeM पर Custom Bid निविदा सं.– GEM/2022/B/2787878 दिनांक 27.11.2022 प्रकाशित किया गया। प्रकाशित निविदा के आलोक मे योग्य निविदादाताओं से निविदा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में क्रय समिति के द्वारा निविदादाताओं के द्वारा प्री–बिड में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखकर पुनः निविदाओं का प्रकाशन दो बार किया गया।परंतु दोनों ही बार योग्य निविदादाता नहीं मिल सके। शिक्षक की आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित मानक के आलोक में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि दस हजार के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा टैब हेतु निविदा समर्पित नहीं किए जाने के कारण राज्य सरकार से सहमति प्राप्त कर इसकी राशि में 5000.00 प्रति टैबलेट की वृद्धि कर पुनः निविदा प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में तदोनुसार निविदा का प्रकाशन

Khurshid

		क्रय समिति द्वारा निर्धारित मानकों तथा वर्द्धित 15000.00 के स्वीकृत मूल्य के आ[illegible] में निविदा प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के स्कूली बच्चों के हित में खण्ड–01 में वर्णित योजनान्तर्गत सभी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ती से पहले टैब देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निविदा के निष्पादन के पश्चात वर्णित योजनांतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों के प्राथमिक शिक्षकों को टैब उपलब्ध करा दिया जाएगा।

25.02.24

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16/वि2–14/2024.273..../ राँची, दिनांक 26/02/2024.......

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2791 दिनांक 22.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.02.24

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

48

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०–08 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत पौराणिक व ऐतिहासिक धरोहर के रूप में तेलियागढ़ी का किला, राजमहल अनुमण्डल अन्तर्गत विश्व प्रसिद्ध कन्हैया स्थान, मुरली पहाड़ फॉसिल पार्क, उधवा प्रखण्ड के उद्धव मुनि आश्रय स्थली, विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण पतौड़ा झील, शिवगादी धाम एवं अन्यान्य प्राकृतिक धरोहर का पर्यटक स्थल के अधिसूचित नहीं होने के कारण अर्द्ध विकसित है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** उद्धव मुनि आश्रय – श्रेणी C, उधवा अभ्यारण पतौड़ा झील–श्रेणी C, तेलियागढ़ी का किला – श्रेणी C, कन्हैया स्थान – श्रेणी B, शिवगादी धाम – श्रेणी B, फॉसिल पार्क – श्रेणी C का पर्यटक स्थल अधिसूचित है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य गठन के 23 वर्षो बाद भी पर्यटन नीति नहीं बन पाई है, जहाँ कि पहचान अन्य राज्यों से अलग मजबूत सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता, पर्व–त्योहार, रहन–सहन, कला–संस्कृति के रूप में स्थापित है;	2.	**अस्वीकारात्मक**
3.	क्या यह बात सही है कि यहाँ के पर्यटन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी, व्यापक प्रचार– प्रसार का अभाव, आवागमन (ट्रांसपोर्ट व्यवस्था)/ लिंकेज व्यवस्था का अभाव तथा अन्यान्य समस्याओं के कारण पर्यटन क्षेत्र विकसित नहीं हो पाई है;	3.	**आंशिक स्वीकारात्मक**
4.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में पर्यटन नीति बनाते हुए राज्यन्तर्गत पर्यटकीय स्थल सहित खण्ड (1) में वर्णित पर्यटकीय स्थलों में अधिसूचित कराते हुए सम्पूर्ण सुविधा अविलम्ब उपलब्ध कराने व विकसित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	4.	झारखण्ड पर्यटन नीति–2021 का गठन किया जा चुका है। अधिसूचित पर्यटक स्थलों पर विभागीय पत्रांक 910, दिनांक03.06.2022 के आलोक में पर्यटकीय विकास/सौन्दर्यीकरण की कारवाई प्रक्रियाधीन है एवं विभागीय पत्रांक 265, दिनांक 21.02.2024 द्वारा पर्यटक स्थल अधिसूचित क्षेत्र को विकास हेतु उपायुक्त, साहेबगंज से प्रस्ताव व प्राक्कलन प्राप्त करते हुए विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है साथ ही अन्य क्षेत्रों को पर्यटन स्थलों के रूप में अधिसूचित करने हेतु प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया है। तदोपरांत इस पर राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।

झारखण्ड सरकार
<u>पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग</u>

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/05/2024......305....../राँची, दिनांक......24-02-2024......

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2671/वि०स०, दिनांक– 19/02/2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/24

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(49)

श्री दशरथ गागराई, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–25 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में जनजातिय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का सृजन किया गया है,	स्वीकारात्मक। कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा विभाग में प्राध्यापक के 01 पद, सह–प्राध्यापक के 02 पद, सहायक प्राध्यापक के 03 पद एवं हो विभाग में सहायक प्राध्यापक के 02 पद सृजित है।
02	क्या यह बात सही है कि पदों के सृजन के उपरांत भी इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ नही की गयी है,	अस्वीकारात्मक। कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा द्वारा पत्रांक–504, दिनांक 23.06.2018 के द्वारा सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है।
03	क्या यह बात सही है कि इन पदों पर नियुक्ति नहीं होने से इन विषयों में पठन–पाठन एवं रिसर्च कार्य पर प्रतिकुल असर पड़ रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा द्वारा तत्कालीन व्यवस्था के तहत् क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के पठन–पाठन का कार्य अतिथि शिक्षकों के माध्यम से कराया जा रहा है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा में जनजातिय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। पुनः विभागीय पत्रांक–323(अनु0) दिनांक–25.02.24 के द्वारा अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन की माँग की गई है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–16/2024 331 /   राँची, दिनांक : 26/02/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–2835, दिनांक 22.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

50

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 27.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-23 का उत्तरः-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत महागामा प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज का निर्माण हो चुका है, जिसमें पठन-पाठन का कार्य शुरू नही हो पाया है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के पत्रांक-807, दिनांक-19.12.23 के द्वारा कॉलेज हस्सतांतरण हेतु विभाग में आवेदन भेजा गया है जिस पर निर्णय नही होने से अबतक पठन-पाठन शुरू नही हो पा रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-250 दिनांक-23.02.24 एवं उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्रांक-289/बजट दिनांक-05.01.24 के आलोक में विश्वविद्यालय को विभिन्न नवनिर्मित भवनों का हस्तांतरण (टेक ओवर) करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पठन-पाठन का कार्य शुरू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	संदर्भित दिशा-निर्देश के आलोक में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के द्वारा हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। भवन हस्तांतरण के पश्चात् शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक-01/वि०स०-19/2024 326 /   रॉची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को उनके पत्रांक-2832 दिनांक-22.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

51

श्री विकास कुमार मुण्डा, स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 27.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–10 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड की क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में स्नातक एवं स्नातकोत्तर करने हेतु कोई डिस्टेंस एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है जैसे की I.G.N.O.U. से हिंदी में पढ़ाई की जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय, रॉंची की स्थापना दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने हेतु की गयी है। वर्तमान में झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय, रॉंची में डिप्लोमा स्तर पर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई की व्यवस्था है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड की व्यवस्था नहीं होने के कारण निजी अथवा सरकारी नौकरी कर रहे विद्यार्थी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई नही कर पाते;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय, रॉंची में डिप्लोमा स्तर पर क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई की व्यवस्था है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झारखण्ड की क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में स्नातक एवं स्नातकोत्तर करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन की व्यवस्था करने हेतु सभी विश्वविद्यालयों को निदेशित करने अथवा कोई अन्य विकल्प तैयार करने का इरादा रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड की क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई आरम्भ करने हेतु प्रस्ताव कुलसचिव, झारखण्ड खुला विश्वविद्यालय, रॉंची के पत्रांक–447 दिनांक–30.11.2023 के द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को भेजा गया है, जो कि विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–07/2024 324 / रॉंची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2673 दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

(52)

श्री सुखराम उराँव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–28 से संबंधित उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर विधान सभा क्षेत्र में जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय में बी0एड0 शंकाय का अपना भवन है,	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में पूर्व में बी0एड0 की पढ़ाई होती थी, जो अब बंद कर दी गयी है,	स्वीकारात्मक।
03	क्या यह बात सही है कि बी0एड0 की पढ़ाई बंद होने के कारण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को अन्यंत्र जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है,	अस्वीकारात्मक। कोल्हान विश्वविद्यालय अन्तर्गत चक्रधरपुर में मधुसूदन महतो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, चक्रधरपुर में सत्र 2015–17 से बी0एड0 की पढ़ाई चल रही है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में उल्लेखित महाविद्यालय में पुनः बी0एड0 की पढ़ाई प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, चक्रधरपुर के द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, एन0सी0टी0ई0, भुवनेश्वर को बी0एड0 पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–18/2024 328 / रॉची, दिनांक : 26/02/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय के ज्ञाप संख्या–2834, दिनांक 22.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

S3

690
26/02/2024

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–15

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के द्वारा वित्तरहित शिक्षानीति के आलोक में स्थापना अनुमति प्राप्त/स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं इण्टर महाविद्यालय का वर्ष में एक बार अनुदान राशि दी जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार से स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृति प्राप्त/स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय/संस्कृत विद्यालय एवं मदरसों को झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 तथा यथासंशोधित नियमावली, 2015 के अन्तर्गत अनुदान राशि दी जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2004 से प्रारम्भ की गई अनुदान राशि को विद्यालय के सचिव के नाम सीधे ड्राफ्ट के माध्यम से विद्यालय के खाते में उपलब्ध करा दी जाती थी, जिसे वर्त्तमान में बन्द कर दिया गया है तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित जिले के काषागार के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृति प्राप्त/स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय/संस्कृत विद्यालय एवं मदरसों को अनुदान प्राप्ति हेतु **ऑनलाईन प्रक्रिया** के तहत् आवेदन प्राप्त किया जाता है एवं संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को वित्तीय पारदर्शिता एवं लेखांकन के उद्देश्य से आवंटन द्वारा अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है, जिसे संबंधित कोषागार के माध्यम से संबंधित विद्यालय की प्रबंध समिति के बैंक खाते में अंतरित की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्व (प्रारम्भ काल की भांति) अनुदान राशि विद्यालयों/महाविद्यालयों के सचिव के नाम सीधे खाते में भुगतान कराने हेतु वर्ष 2004 के संशोधित नियमावली–2015 को निरस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति कंडिका–2 में सन्निहित है। उक्त प्रक्रिया से वित्तीय पारदर्शिता एवं लेखांकन सुनिश्चित हुई है।

(हस्ताक्षर)
सरकार के उप सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–27/2024 690 / दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
सरकार के उप सचिव।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 54
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जाने वाला
अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–03

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिड डे मिल योजना के अन्तर्गत छात्रों को गुणवत्ता वाले भोजन देने के लिए रसोईयों की नियुक्ति की गई है ;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि रसोईयों को कुशल कारीगर की श्रेणी में रखा गया है जिसे प्रतिदिन के हिसाब से 66.60 रू. मजदूरी दिया जाता है जो बहुत कम है ;	पी.एम. पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें व्यय भार का वहन केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जाता है। रसोईया सह सहायिका को केन्द्रांश के रूप में रू. 600.00 एवं राज्यांश के रूप में रू. 400.00 का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना से रू. 1000/– प्रतिमाह अर्थात कुल रू. 2000.00 प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए भुगतान किया जाता है। विद्यालय में रसोईया एवं सहायिका का कार्य मात्र मध्याह्न भोजन तैयार करने एवं वितरण करने से संबंधित है।
3.	क्या यह बात सही है कि एक कुशल कारीगर को 563.00 रू. प्रतिदिन के हिसाब से रसोईयों की मजदूरी की मांग बार–बार किया जा रहा है ;	रसोईया संघ द्वारा मानदेय वृद्धि हेतु मांग के संबंध में दिनांक 03.08.2023 को संघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के क्रम में रू. 1000/– प्रतिमाह वृद्धि के प्रस्ताव विचाराधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रसोईयों को शीघ्र मजदूरी वृद्धि करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–3 में सन्निहित है।

Aman
24.02.24
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक :16/वि2–05/2024..265../ राँची, दिनांक 24/02/2024

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2591 दिनांक 18.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.02.24

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–14 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा लगभग तीन वर्षो तक एक पद एवं स्थान पर पदस्थापित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक। सरकारी कर्मियों के संदर्भ में सरकार का प्रावधान है कि– "प्रत्येक पद पर या किसी विशेष स्थान पर पदस्थापन की अवधि साधारणतः तीन साल होगी।"
2. क्या यह बात सही है कि प्रदूषण विभाग मे एक ही स्थान पर वर्षो से कर्मचारी एवं पदाधिकारी पदस्थापित है एवं कार्यबल की कमी के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सरकारी कर्मियों के संदर्भ में स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निर्गत प्रावधान को झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा भी अनुसरण किया जाता है। इसी आलोक में वर्ष 2023, अक्टूबर माह में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची के झा0रा0प्र0नि0प0, मुख्यालय, राँची के कार्यालय आदेश सं0–B-83, दिनांक–25.10.2023 सहपठित ज्ञापांक–B-2449 दिनांक–25.10.2023 द्वारा पर्षद के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/ पदस्थापन किया गया है। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में वित्तीय वर्ष 2022–23 में आवश्यकतानुसार विभिन्न संवर्गों यथा तकनीकी/ गैर–तकनीकी में कुल–21 की संख्या में संविदा कर्मी रखे गये हैं एवं 25 कर्मियों की संविदा पर रखने हेतु प्रक्रिया जारी है।
3. क्या यह बात सही है कि एक ही स्थान पर वर्षो से कार्यरत रहने के कारण कर्मचारी, पदाधिकारी निरंकुश हो जाते हैं तथा किसी प्रतिष्ठान की शिकायत किये जाने पर मात्र जाँच की खानापूर्ति कर मुद्रामोचन कर मामला को दबा दिया जाता है और दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है;	अस्वीकारात्मक। कंडिका 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4. यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में वर्षों से प्रदूषण विभाग में एक ही स्थान पर पदस्थापित कर्मचारियों, पदाधिकारियों को नियमित रूप से स्थानान्तरण कर रिक्त पदों पर कर्मचारियों एवं पदाधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। कंडिका 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अल्पसूचित प्रश्न–15/2024– 611 व0प0, दिनांक– 26/02/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2714, दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

SL 692
26/02/2024

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–13 क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		
क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि *JSSC* द्वारा *PGT* का परिणाम और नियुक्ति नवंबर–2023 में होनी थी;	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची से संबंधित है।
2	क्या यह बात सही है कि शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों का सत्यापन कराने के पश्चात् लगभग दो महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक फाईनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है, जिससे *PGT* अभ्यर्थी निराश व हताश हैं;	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची से संबंधित है। वस्तुतः परीक्षा का संचालन एवं अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार में है। आयोग से सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची एवं अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत ही विभाग द्वारा नियुक्ति के संबंध में विचार एवं नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका–2 में सन्निहित है।

सरकार के उप सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–25/2024 692 / दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

689
26/02/2024

श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–11

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति अन्तर्गत स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इण्टर कॉलेज, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसा विद्यालयों की संख्या कुल 585 है तथा इन विद्यालयों के 8 हजार से भी ज्यादा शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा राज्य के शिक्षा के क्षेत्र में वर्षो से कार्यरत हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों विगत–5 वर्षो से भी ज्यादा समय से वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर सेवा शर्त्त नियमावली बनाते हुए इन कर्मियों की सेवा सरकारी संवर्ग में करते हुए वेतनमान देने की मांग की जाती रही है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प सं. 129 दिनांक 30.11.1981 द्वारा राज्य सरकार की नीति निर्धारित है कि माध्यमिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया एक–दूसरे से बिल्कुल भिन्न होगी तथा वैसे विद्यालय, जो प्रस्वीकृति के सभी निर्धारित शर्त्तें पूरी करते हैं, उन्हें बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम की धारा–19 के अंतर्गत बिना किसी वित्तीय भार के प्रस्वीकृति प्रदान की जा सकेगी, परंतु ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा को सरकार अधिग्रहित नहीं करेगी। संप्रति वर्ष 1981 में निर्धारित उपर्युक्त नीति में परिवर्त्तन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। झारखण्ड राज्य के गठन के उपरांत स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति प्राप्त वित्तरहित गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान निर्गत किये जाने हेतु अधिनियम एवं नियमावली गठित की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित विद्यालयों में वर्षो से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को खण्ड–2 में वर्णित मांग पर अविलम्ब निर्णय लेतु हुए सरकारी संवर्ग में करते हुए वेतनमान् दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	

सरकार के उप सचिव।

झारखंड–सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–26/2024 689 / दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

58

688
26/02/2024

श्री विनोद कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–01

क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के 2133 माध्यमिक विद्यालयों में मात्र 29 प्राचार्य कार्यरत हैं, शेष प्रभारी प्राचार्यो के माध्यम से संचालन हो रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा जुलाई 2023 में ही रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गयी थी;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर प्राचार्य की सीधी नियुक्ति एवं योग्य शिक्षकों का प्रोन्नति कर प्राचार्य पद पर नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 2011 दिनांक 21.07.2023 द्वारा राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 677 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्त्ती के तहत् योजना मद में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची को अधियाचना प्रेषित की गई है तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 4570 दिनांक 08.08.2023 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची को प्रेषित की गई है। माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक (गैर योजना मद में) के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 83 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची को अर्हताधारी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची प्रेषित की गई है। अद्यतन तिथि तक अनुशंसा अप्राप्त है।

26/02/24

सरकार के उप सचिव।

झारखंड–सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स. 01–10/2024.....688...../ दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

सरकार के उप सचिव।

59

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या०–अ०सू०–19 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 से राँची में अर्बन हाट का आधा–अधूरा निर्माण कर छोड़ दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अर्बन हाट के संचालन होने से स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों एवं छोटे व्यवसायियों को बड़ा बाजार मिल पाता है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अर्बन हाट योजना पर 11 करोड़ रू० और खर्च कर पूरा कराने का फैसला लिया था;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बंद पड़े अर्बन हाट निर्माण को यथाशीघ्र पूरा कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राँची नगर निगम के पत्रांक–589/Eng दिनांक–26.02.2024 द्वारा प्रतिवेदित सूचना अनुसार आवंटित राशि से अर्बन हाट योजना को पूर्ण करने हेतु निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। निविदा निष्पादन के उपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–05/अल्पसूचित–02/2024 न०वि०आ० 776 राँची, दिनांक–26/02/24

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–2790 वि०स० दिनांक–22.02.2024 एवं उद्योग विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–275 दिनांक–26.02.2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/24

सरकार के उप सचिव।